क्रमांक 1520-4 जी0 एस0 II-71/8796

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में

1. सभी विभागीय अध्यक्ष, आयुक्त अम्बाला मण्डल तथा सभी उपायुक्त और सभी उप-मण्डल अधिकारी हरियाणा

2. रजिस्ट्रार, पंजाब तथा हरियाणा हाईकोर्ट और सभी जिला तथा सत्र न्यायाधीश, हरियाणा।

दिनांक, चण्डीगढ़ 23-4-1971

विषय :—निर्योग्य भूतपूर्व सैनिकों को सरकारी सेवा में रियायतों का देना।

महोदय,

मुझे निदेश हुआ है कि हरियाणा सरकार के अनुदेश क्रमांक 4710-5 जी0 एस0-II-70/14996 दिनां 19-6-70 उपरोक्त विषय का हवाला दूं और कहूं कि अब सरकार ने यह निर्णय किया है कि जब निर्योग्य (Disabled भूतपूर्व सैनिकों को सेना अधिकारियों द्वारा पुनरीक्षण मैडीकल बोर्ड के लिए बुलाया जावे, उनका अस्पताली समय को ड्यू समझा जाये।

2. उपरोक्त रियायतें, केवल चिकित्सा अधीक्षक, सैनिक अस्पताल के द्वारा आवश्यक चिकित्सा प्रमाण जा किया हुआ प्रस्तुत करने पर ही देय होगी।

3. यह वित्त विभाग की सहमति उनके अशा0 क्रमांक 328-3 अफ0 आर0-761/दिनांक 15/16-3-7 प्राप्त करके जारी किया है।

4. कृपया इस पत्र की पावती भेजें।

भवदीय,

हस्ता/—

उप सचिव सचिवालय स्थापना

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।